कार्यालय वन संरक्षक यमुना वृत्त,उत्तराखण्ड, देहरादून ।

पत्रांक 2280 / 12–1 (1) दिनांक, देहरादून,मार्च 15, 2016

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

विषयः जनपद देहरादून के अन्तर्गत पजिटीलानी–सैंज मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.9975 है0वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

संदर्भः प्रस्ताव संख्या **FP/UK/ ROAD/ 11483 / 2015**

महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी,चकराता वन प्रभाग,चकराता ने अपने पत्रांक 2962 / 12–1 दिनांक 7–12–2016 के द्वारा विषयाकिंत प्रस्ताव ऑन लाईन प्रेषित किया गया है। विषयाकिंत प्रस्ताव में वांछित वन भूमि की विधिक स्थिति निम्न प्रकार है ।

रेंज का नाम	वांछित भूमि की विधिक स्थिति	लम्बाई X चौड़ाई (प्रमीटर)	क्षेत्रफल हेक्टर	बाधित वृक्षों की संख्या	बाधित बांज के वृक्ष जो कालम 5 में सम्मिलित हैं।
1	2	3	4	5	6
रीवर रेंज	सिविल वन भूमि ग्राम सैंज व दिलउ तहसील कालसी ब्लॉक कालसी	1425 X 7	0.9975	19	4
	योग वन भूमि	1425	**0.9975**	**19**	**4**
रीवर रेंज	नाप भूमि– ग्राम सैंज व दिलउ	2575X 7	1.8025	15	**0**
	योग	4000		34	**4**

प्रस्तावित मोटर मार्ग की लम्बाई 4000 मीटर है, जिसमें वन भूमि में बाधित 19 वृक्षों में सम्मिलित बांज के 4 वृक्ष बाधित हो रहे हैं। अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग,चकराता के साथ स्थलीय निरीक्षण दिनांक 8 मार्च 2016 को किया गया है। स्थलीय निरीक्षण टिप्पणी तथा निर्धारित प्रपत्र– III में संस्तुति सहित प्रस्ताव ऑन लाईन प्रेषित किया जा रहा है। प्रस्तावक द्वारा तीन प्रति प्रस्ताव को आपके कार्यालय में दिनांक 18.2.16 को जमा किया है।

भवदीय

संलग्नक–यथोपरि।

(आर0के0मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक,
यमुना वृत,उत्तराखण्ड,देहरादून ।

पत्रांक-2280 / 12-1(1) / दि०

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी चकराता वन प्रभाग,चकराता को उनके पत्रांक 2962 / 12–1 दिनांक 7–12–2015 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग,सहिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आर0के0मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक,
यमुना वृत,उत्तराखण्ड,देहरादून ।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0, लोक निर्माण विभाग, सहिया,

पत्रांक / दिनॅाक /02/2016

सेवा में

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एंव नोडल अधिकारी,वन
संरक्षक उत्तराखण्ड

विषयः– पजिटीलानी सैन्ज मार्ग के वन भूमि लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण का प्रस्ताव उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि उक्त मार्ग के प्रस्ताव की तीन प्रतियॉ आपको को अग्रिम कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायी जा रही है।

O/c

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0लो0नि0वि0
सहिया,

पत्रांक 282 /6C दिनांक 16/02/2016

प्रतिलिपिः– 1–प्रभागीय वना अधिकारी चकराता वन प्रभाग चकराता को सूचनार्थ प्रेषित।
2–सहायक अभियन्ता प्रथम लो0नि0वि0, सहिया को सूचनार्थ एवॅ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

18/2/16 O/c

सर्वेक्षक
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय
...र, फौरेस्ट कालोनी
वन विभाग, (उत्तराखण्ड)
देहरादून

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0लो0नि0वि0
सहिया,

भाग–III

(संबंधी वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है ।)

कार्य का नाम– जनपद देहरादून के अन्तर्गत पजिटीलानी–सैंज मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.9975 है0वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। प्रस्ताव संख्या **FP/UK/ ROAD/ 11483 / 2015**

क्रमांक 14	स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	जी हॅा, प्रस्तावित मार्ग के समरेखण में वन भूमि में 19 बाधित हो रहे हैं,जिसमें 04 वृक्ष बांज प्रजाति के सम्मिलित हो रहे हैं। बांज वृक्षों का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी चकराता डा0 दिवाकर सिन्हा, साथ दिनांक 8मार्च 2016 को किया गया है। निरीक्षण टिप्पणी में बाधित वृक्षों का विवरण अगले पृष्ठ में दिया जा रहा है।
क्रमांक 15	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझाव से सहमत हैं ।	सहमत हैं ।
क्रमांग 16	प्रस्तावों की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें ।	संस्तुति की जाती है।

दिनांक – 15 मार्च, 2016
स्थान – देहरादून ।

हस्ताक्षर

नाम – (आर0के0मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक,
यमुना वृत,उत्तराखण्ड,देहरादून ।

जनपद–देहरादून के अन्तर्गत पजिटीलानी–सैंज मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.9975 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में बाधित हो रहे बांज वृक्षों के स्थलीय निरीक्षण की टिप्पणी । प्रस्ताव संख्या FP/UK/ ROAD/ 11483 / 2015

वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता ने अपने पत्र संख्या 2962 / 12–1 दिनांक 07–12–2015 के द्वारा उक्त प्रस्ताव ऑन लाईन प्रेषित किया गया है।

उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग की लम्बाई 4.00 कि0मी0 है, जिसमें अपेक्षित वन भूमि 0.9975 है0 में बाधित वृक्षों का विवरण निम्न प्रकार हैं। मार्ग के समरेखण में भूमि की विधिक स्थिति के अनुसार बाधित वृक्षों का विवरण निम्न प्रकार है:–

सिविल वन भूमि में बाधित बांज वृक्ष

भूमि का प्रकार	रेंज / ब्लाक	बाधित बॉज वृक्षों का ब्यास वर्गवार विवरण									
		0.10	10.20	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80.90	योग
रीवर रेंज सिविल वन भूमि ग्राम सैंज व दिलउ तहसील कालसी ब्लॉक कालसी		0	0	2	1	1	0	0	0	0	4

वन भूमि में बाधित बांज वृक्ष से अतिरिक्त बाधित वृक्ष

भूमि का प्रकार	रेंज / ब्लाक	प्रजाति	बॉज से अतिरिक्त बाधित वृक्षों का ब्यास वर्ग वार विवरण									
			0.10	10. 20	20. 30	30. 40	40. 50	50. 60	60. 70	70. 80	80. 90	योग
सिविल वन भूमि ग्राम सैंज व दिलउ	रेंज – रीवर रेंज	खड़ीक,किमू भीमल,दूधला,दूधला सिरस आदि	0	0	6	5	2	2	0	0	0	15

मार्ग के समरेखण में सिविल वन भूमि में 19 वृक्ष बाधित हो रहे हैं,जिसमें 4 वृक्ष बांज प्रजाति के सम्मिलित हैं।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग,चकराता के साथ प्रस्तावित मोटर मार्ग के समरेखण में बाधित वृक्षों का निरीक्षण दिनांक 8मार्च 2016 को किया गया है। प्रस्तावित मार्ग के निर्माण से ग्राम दिलउ तथा सैंज के निवासी मुख्य मार्ग से जुड़ जायेंगे। प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण कार्य सार्वजनिक जनहित का होने के कारण वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य की संस्तुति की जाती है।

(आर0के0मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक,
यमुना वृत,उत्तराखण्ड,देहरादून ।

dfo_chakrata_uta@yahoo.co.in
टैली, फैक्स नं0–01360–275078

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता।

पंत्राक–3894 / 12–1 दिनांक , चकराता 03 मार्च 2016

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून

विषयः– **जनपद–देहरादून के अन्तर्गत पजिटीलानी–सैंज मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.9975 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

संदर्भ :– 1–प्रस्ताव संख्या–FP/UK/Road/11483/2015
2–आपका पत्रांक–1574 / 12–1(1) दि0 14.12.2015

उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि विषयगत प्रस्ताव में लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर आख्या निम्नानुसार है –

1–भाग–2 में वृक्षों की गणना कर दी गई है।
2–जिलाधिकारी, द्वारा दिया गया वन अधिकार अधिनियम प्रमाण–पत्र दिनॉक सहित प्रस्ताव में चस्पा कर दिया गया है।
3–प्रस्ताव में मोटर मार्ग की वास्तविक लम्बाई 4.00 किमी0 का अधिशासी अभियन्ता, अ0ख0, लोक निर्माण विभाग का प्रमाण–पत्र संलग्न है।
4–क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अर्जित की जा रही सिविल सोयम भूमि के सम्बन्ध में राजस्व विभाग के सक्षम स्तर द्वारा जारी प्रमाण–पत्र संलग्न है।

अतः उपरोक्त प्रस्ताव में लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर निराकरण आख्या बिन्दुवार सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी में ऑनलाईन आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(डा0 दिवाकर सिन्हा)
प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता

प्रतिलिपि–अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, सहिया को सूचनार्थ प्रेषित।

(डा0 दिवाकर सिन्हा)
प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता

NEW 3095

विवरण 2

(31 H)

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONE
DISTRICT DEHRADUN (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA) *2006.*

A meeting of the district level committee of Dehradun district, constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Mr. Ravii Nath Raman I.A.S. District Magistrate, Dehradun on date .16-02-2015..at time...............at dehradun in which application claiming rights in measuring **0.9975** Area hect for the Construction of **Panjitilani Sainj MotorMarg** froest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of kalsi sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection / claims were found to have been made & hence District level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place. Dehradun.
Dated. 16-02-2015

Deputy Commissioner –cum-Chairman
District Level Committee
District Magistrate
Dehradun.

(31 I)

Annexure-I

FORM – 1
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector : Dehradun

No:.....................

Dated:..16-02-2015

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No:- 11-9/98-EC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recantation of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed t be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear project. It is certified that **0.9975** hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Public Works Deptt. Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of **Panjitilani Sainj Moto Marg** under State Sector (purpose for diversion of forest land) in Dehradun district falls within jurisdiction of **Khamroli, Dilao, Sainj** village(s) in **kalsi** Tehsils.

It is further certified that:

(d) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.9975** Hactares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level committee (s) and District Level Committee are enclosed as annexure 1 to – annexure.

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.

(f) The proposal dose not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above

Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

District Magistrate
Dehradun

Annexure-II

FORM – II
(For projects other than linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector : Dehradun

No:....................

Dated: 16-02-2015

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No:- 11-9/98-EC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recantation of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed t be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear project. It is certified that **0.9975** hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Public Works Deptt. Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of of **Panjitilani Sainj Moto Marg** under State Sector (purpose for diversion of forest land) in Dehradun district falls within jurisdiction of **Khamroli, Dilao, Sainj** village(s) in Chakrata Tehsils.

It is further certified that:

(g) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.9975** Hactares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level committee (s) and District Level Committee are enclosed as annexure 1 to – annexure.

(h) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular / local language) have been placed before each concerned gram sabha of forest- dwellers, who are eligible under the FRA.

(i) The each of concerned gram sabha (s), has certified thal all formalities / processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood. The purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of Sainj villages (s) is enclosed as annexure............ To annexure..................

(j) The discussion and decision on such proposals on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of gram sabha present.

विकुंठ 2

(31K)

(k) The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the gram subha have giver their consent to it.

(l) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre- Agricultural Communities. Where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encl: As above

Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

District Magistrate
Gondia.

दिन्दु सं० 3

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पजिटिलानी सैन्ज मोटर मार्ग निर्माण हेतु शासनादेश सं0–541/III (2)/2005 (प्रा0 आ0)/05 दिनॉक 30–06–2005 के द्वारा 8.00 किमी0 लम्वाई हेतु स्वीकृत है। स्थानिय ग्रामीणों की वर्तमान सहमति के आधार पर मार्ग निर्माण हेतु जो संरेखण प्राप्त हुआ है तकनीकी रूप से उस सेरेखण की वास्तविक लम्बाई 4.00 किमी0 ही आती है, जो कि पजिटिलानी चदैउ सुपउ मार्ग पर समाप्त होती है। इससे आगे मार्ग का निर्माण नही किया जाना है जिस कारण यह वन भूमि प्रस्ताव 4.00 किमी0 लम्बाई हेतु ही गठित किया गया है।

(मुकेश परमार)
अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0 लो0नि0वि0
सहिया।

विन्दु सं 4

(18B)

प्रपत्र--11.1

परियोजना का नाम :– पजिटीलानी सैन्ज मोटर मार्ग का निर्माण के वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव । (0.9975 है0)

लैन्ड शेड्यूल (सिविल सोयम भूमि)

क्रम सं0	जिला	परगना	खत	तहसील	मौजा	खाता संख्या	खसरा नम्बर	कुल रकबा (है0)	अर्जित रकबा (है0)
1	देहरादून	जौनसार बाबर	अटगांव	कालसी	दिलउ	89	897मि	14.000	1.995
							योग–		1.995

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अर्जित सिविल सोयम भूमि–1.995 है0

ह0 राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र–चन्दो
तह कालसी

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0,
सहिया

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0,
सहिया

ह0
तहसीलदार
कालसी

ह0
उपजिलाधिकारी
कालसी

प्रपत्र–36

परियोजना का नामः– पजिटीलानी सैन्ज मोटर मार्ग का निर्माण के वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव । (0.9975 है0)

।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित स्थल ग्राम पॅचायत दिमों मे सिविल सोयम भूमि वृक्षारोपण हेतु सर्वदा उपयुक्त है।

वन क्षेत्राधिकारी
रेंज
चकराता वन प्रभाग

ह0/
प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
कालसी

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0, लोक निर्माण विभाग, सहिया,

दिनॉक /02/2016

पत्रांक /

सेवा में
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एंव नोडल अधिकारी,वन
संरक्षक उत्तराखण्ड

विषयः– पजिटीलानी सैन्ज मार्ग के वन भूमि लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण का प्रस्ताव उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,
उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि उक्त मार्ग के प्रस्ताव की तीन प्रतियॉ आपको को अग्रिम कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायी जा रही है।

O/c

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0लो0नि0वि0
सहिया,

दिनांक 16/02/2016

पत्रांक 282 /6C

प्रतिलिपिः– 1–प्रभागीय वना अधिकारी चकराता वन प्रभाग चकराता को सूचनार्थ प्रेषित।
2–सहायक अभियन्ता प्रथम लो0नि0वि0, सहिया को सूचनार्थ एवॅ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

18/2/16

सर्वेक्षक
वन सर्वेक्षण निदेशालय
... नगर, फौरेस्ट कालोनी
वन विभाग, (उत्तराखण्ड)
देहरादून

O/c

अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0लो0नि0वि0
सहिया,